फाईल नं0-23-9002(002)/25/2022
संख्या-50/2023/आई0/511/2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 03 मार्च, 2023**

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0 एफ0-28 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 24 लघु सेतु परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पत्र सं-रा0बैं0उ0प्र0क्षे0का0/229/राज्य परियोजना विभाग/आर0आई0डी0एफ0-04/RIDF-XXVIII/2022-23, दिनांक 08.02.2022, एवं मुख्य अभियंता(सेतु), लो0नि0वि0 के निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-28 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 24 लघु सेतु परियोजनाओं, कुल लागत रू0 35,01,17,000/- (रूपये पैतीस करोड़ एक लाख सत्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष संलग्न सूची के स्तम्भ-9 के अनुसार रू0 22,99,90,000/-(रूपये बाईस करोड़ निन्यानबे लाख नब्बे हजार मात्र) (जिसमें अनुदान संख्या-57 के लेखाशीर्षक 5054-04-101-36-00-24 से 78.79 प्रतिशत धनराशि रू0 1812.10 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 5054-04-789-21-00-24 से 21.21 प्रतिशत धनराशि रू0 487.80 लाख देय होगा), की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.	मुख्य अभियंता(सेतु) लो0नि0वि0 का पत्रांक	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0 में)	लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
						अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1214/सेतु दि0 18.11.2022	मथुरा	सेमरी बरोली मार्ग कि0मी0 1(चैनेज 0.600) पर स्थित कोसी ड्रेन पर लघु सेतु का निर्माण कार्य।	26.25	146.80	92.53	24.91	117.44
2	1219/सेतु दि0 18.11.2022	अलीगढ़	गांगरोल-नगला-ढक मार्ग से जनपद हाथरस बॉर्डर तक नगला केशिया रजवाहे पर स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण का कार्य।	9.00	57.64	36.33	9.78	46.11
3	1632/नदी सेतु दि0 19.11.2022	आजमगढ़	राजादेपुर-अजमतगढ़ मागर्ग् के कि0मी0 2 से अम्मा आइमा होते हुए बरडीहा सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 4 में सकरी पुलिया के स्थान पर लघु सेतु का निर्माण कार्य	13.60	85.82	54.09	14.56	68.66
4	1633/नदी सेतु दि0 19.11.2022	आजमगढ़	बनकट जैगहा बिन्दवल जैराजपुर कन्धरापुर मार्ग के कि0मी0 6 में क्षतिग्रस्त एवं सकरी पुलिया के स्थान पर 2×6 मी0 स्पान के	13.35	101.54	64.00	17.23	81.23

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	मुख्य अभियंता(सेतु) लो0नि0वि0 का पत्रांक	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0 में)	लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
						अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।					
5	1635/नदी सेतु दि0 21.11.2022	सुलतानपुर	कादीपुर अखण्डनगर मार्ग के कि .मी.8 में स्थित नाले पर 3 सेल 3.00×3.00 मी0 के आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट के निर्माण का कार्य।	10.74	154.68	97.50	26.25	123.74
6	1636/नदी सेतु दि0 21.11.2022	बाराबंकी	विकास खण्ड हैदरगढ़ में चौबीसी कमेला दतौली मार्ग(अ0जि0मा0) मार्ग के कि0मी0 12 में 2×6.00 मी0 स्पान के लघु सेतु का निर्माण कार्य।	13.35	245.12	96.57	25.99	122.56
7	1609/नदी सेतु दि0 15.11.2022	गोरखपुर	राजपुर इन्दरपुर मछलीगॉव मोहम्मदपुर हगना जंगल बब्बन बी0एम0सी0टी मार्ग के कि0मी0-6 में 2×6 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	13.60	120.89	76.20	20.51	96.71
8	1608/नदी सेतु दि0 15.11.2022	गोरखपुर	महेवा चुंगी मलौली बन्धा अन्य जिला मार्ग के किमी0-30 में स्थित स्थानीय नाला पर 3×6 मी0 स्पान का आर0सी0सी0 लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	20.40	169.71	106.97	28.80	135.77
9	1607/नदी सेतु दि0 15.11.2022	गोरखपुर	जोधपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-3 में 2×5 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 लघु सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	11.60	114.65	72.27	19.45	91.72
10	1641/नदी सेतु, दि0 22.11.2022	कुशीनगर	शाहपुर खलवा पट्टी मार्ग के कि0मी0 3 से दुबौली सम्पर्क मार्ग पर 3×6 मीटर स्पान लघु सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	20.40	161.46	101.77	27.40	129.17
11	707/नदी सेतु दि0 21.11.2022	इटावा	उदी-चकरनगर-भरेह मार्ग से रम्पुरा मार्ग पर 6.0 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 बाक्स कलवर्ट के निर्माण का कार्य।	7.70	76.01	47.91	12.90	60.81
12	692/नदी सेतु दि0 18.11.2022	कन्नौज	जी0टी0 मार्ग से भुरजानी सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य	10.40	45.78	28.86	7.77	36.62
13	693/नदी सेतु दि0 18.11.2022	कन्नौज	मिरगांवा मल्लू की पुलिया से नवोदय विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य	10.40	45.78	28.86	7.77	36.62
14	682/नदी सेतु दि0 18.11.2022	कानपुर देहात	मूसानगर मार्ग के कि0मी0 2 में फतेहपुर नाला पर 3×18.75 मी0 स्पान की लघु सेतु, पहुंचमार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	56.25	458.18	180.50	48.59	229.09
15	1523/नदी सेतु दि0 20.10.2022	सोनभद्र	ओबराडीह से सिलहटा सम्पर्क मार्ग में झरिया नाला पर 6×5.00×5.00 मी0 के	33.60	214.25	84.40	22.72	107.13

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	मुख्य अभियंता(सेतु) लो0नि0वि0 का पत्रांक	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0 में)	लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
						अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			बाक्स पुलिया एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।					
16	1605/नदी सेतु वि0 15.11.2022	मीरजापुर	लालगंज कलवारी मार्ग से हर्दी मिश्र वाया गढ़वा(अ0जि0मा0)के कि0मी0 6 में बकहर नदी पर 6×7.00×7.00 मी0 स्पान का लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवंसुरक्षात्मक कार्य के निर्माण का कार्य।	47.65	212.76	83.82	22.56	106.38
17	1653/नदी सेतु वि0 23.11.2022	मीरजापुर	विकास खण्ड राजगढ़ में ग्राम लहौरा पहिति मार्ग स्थित ढेकवा नदी पर 7×6 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	48.00	215.27	84.81	22.83	107.64
18	1220/सेतु वि0 18.11.2022	बुलन्दशहर	जहॉगीराबाद-दौलतपुर मार्ग के कि0मी0 13 में सकरे एवं क्षतिग्रस्त आर्च के लघु सेतु के स्थान पर 3×6 मी0 स्पान का आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट का पुनः निर्माण कार्य।	18.00	145.94	91.99	24.76	116.75
19	1244/सेतु वि0 22.11.2022	बुलन्दशहर	बैलोन-रामघाट मार्ग(अ0जि0मा0) के कि0मी0 6 में स्थिति अनूपशहर ब्रांच नहर पर क्षतिग्रस्त व संकुचित सेतु के स्थान पर आर0सी0सी0 बाक्स लघु सेतु का पुन: निर्माण कार्य।	12.00	136.86	86.27	23.22	109.49
20	687/नदी सेतु वि0 18.11.2022	प्रयागराज	ककराही से पिपरहटा सम्पर्क मार्ग पर 2 अदद आर0 सी0सी0 सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	34.00	324.57	127.86	34.42	162.29
21	1215/सेतु वि0 18.11.2022	सहारनपुर	एसएनजीटी मार्ग से बीतिया सबदलपुर सहजवा हरपाल मार्ग(अ0जि0मा0) के किमी0 11 में लघु सेतुएवं पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य। ।	10.74	70.74	44.59	12.00	56.59
22	1213/सेतु वि0 18.11.2022	मुजफ्फर नगर	कल्याणपुर टोडा रियावली सम्पर्क मार्ग(ग्रा0मा0) के कि0मी0 1 में हरसौली नाले पर स्थित संकरी पुलिया के स्थान पर 2×5.00 मीटर स्पान की नई पुलिया का पुन: निर्माण कार्य।	12.00	63.38	39.95	10.75	50.70
23	1249/सेतु वि0 22.11.2022	मुजफ्फर नगर	तौफिर से शाहदरा मार्ग पर पुलिया सं0-1/2 के पुननिर्माण का कार्य। :	6.00	54.87	34.59	9.31	43.90
24	1654/नदी सेतु वि0 23.11.2022	चन्दौली	ग्रामसभा फिरोजपुर में निर्माणाधीन आई0टी0आई0 भवन एवं गॉव को जोड़ने हेतु नहर पर लघु सेतुका निर्माण।	11.90	78.47	49.46	13.32	62.78
			योग		**3501.17**	**1812.10**	**487.80**	**2299.90**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/ दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् हीकार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु02 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(9) प्रायोजना में यदि भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माणप्रारम्भ कराया जाय।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा नाबार्ड शर्तों एवं योजना की गाइड लाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) विभाग द्वारा वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0-23/2022/ बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक- 04 नवम्बर, 2022 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(16) प्रश्नगत कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग में सम्पादित कराये जा रहे कार्यो हेतु Third Party Quality Audit/Inspection प्रणाली एवं रोड सेफ्टी आडिट प्रणाली, विकसित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1850/23-12-17, दिनांक 22.11.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(17) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(19) मार्ग सुरक्षा के प्राविधान आई0आर0सी0 कोड के अनुसार किये जाये।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्य का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 18,12,10,000 (रुपये अठारह करोड़ बारह लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041013600 प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य(*2*) रुपये 4,87,80,000 (रुपये चार करोड़ सतासी लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892100 नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-608-X-2022-23, दिनांक 24 फरवरी, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या उपरोक्त तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
10- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
11- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
12- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
13- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
14- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in